भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1889

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चालू घरेलू नल-जल कनेक्शन (एफएचटीसी) वाले ग्रामीण परिवार

1889. श्री दुलू महतोः
श्री बसवराज बोम्मईः
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः
सुश्री कंगना रनौतः
श्री अभिमन्यु सेठीः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री जगदम्बिका पालः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः
श्री राजकुमार चाहरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त मिशन के अंतर्गत चालू घरेलू नल-जल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए ग्रामीण परिवारों का राज्य-वार, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के मंडी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात के साबरकांठा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान के भीलवाड़ा और पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त मिशन के अंतर्गत कम कवरेज वाले राज्यों में कौन-कौन सी प्रमुख कार्यान्वयन चुनौतियों की पहचान की गई है और इन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जा रहा है;

(ग) क्या उक्त मिशन के अंतर्गत जल आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और जल आपूर्ति में समरूपता का आकलन करने के लिए कोई स्वतंत्र तृतीय पक्ष संपरीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कार्यान्वयन दृष्टिकोण, कवरेज और मापे जाने योग्य परिणामों के संदर्भ में जल जीवन मिशन पिछली ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य पानी का प्रावधान किया जा सके।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (16.71%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 08.12.2025 तक सूचित किए गए अनुसार, लगभग 12.52 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 08.12.2025 तक, देश में 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.75 करोड़ (81.37%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया हैं। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश के मंडी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात के साबरकांठा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान के भीलवाड़ा और पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के जिलों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन के तहत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, जिला-वार तथा ग्राम-वार स्थिति पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और जेजेएम डैशबोर्ड पर निम्न लिंक पर देखी जा सकती है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

(ख): राज्यों ने संकटग्रस्त क्षेत्रों में दुर्लभ भरोसेमंद जल स्रोत, भू-जनित संदूषण, दुर्गम भू-भाग, अलग-थलग बसी हुई बसावटों, सीमित तकनीकी क्षमता, बढ़ती सामग्री लागत और सांविधिक स्वीकृतियों में विलंब आदि जैसी चुनौतियों की सूचना दी है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता, त्वरित मंजूरी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने, एसपीएमयू, डीपीएमयू की स्थापना और स्थानीय तकनीकी कौशल को सुदृढ़ बनाने के लिए नल जल मित्र कार्यक्रम जैसे उपाय शुरू किए। इसके अलावा, जल शक्ति अभियान की पहल: कैच द रेन दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्रोत स्थिरता, समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण तथा महिलाओं के नेतृत्व को और बढ़ावा देती है।

(ग): जल जीवन मिशन के अंतर्गत, विभाग मानक सांख्यिकीय नमूने के आधार पर चयनित एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए पारिवारिक नल जल कनेक्शनों की कार्यशीलता का मूल्यांकन करता है। कार्यशीलता मूल्यांकन, 2024 के दौरान, यह पाया गया कि सर्वेक्षण किए गए गांवों में 98.1% परिवारों के पास नल कनेक्शन थे; नल कनेक्शन वाले 87% परिवारों ने पिछले सप्ताह में पानी प्राप्त करने की सूचना दी, जो समग्र प्रगति का संकेत है; 84% परिवारों को अनुसूची के अनुसार पानी मिलता है; 80% परिवारों को न्यूनतम 55 एलपीसीडी पानी मिलता पाया गया; 76% परिवार बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण से मुक्त पाए गए और 81% परिवार आपूर्ति स्रोत के रासायनिक संदूषण से मुक्त पाए गए तथा मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता के मापदंडों पर विचार करते हुए, 76% पारिवारिक नल कनेक्शन कार्यशील पाए गए।

(घ): जल जीवन मिशन को शुरू किए जाने के बाद से एक विकेन्द्रीकृत, मांग-आधारित और समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें इसका प्राथमिक ध्यान बसावट स्तर के प्रावधान से हटाकर पारिवारिक नल कनेक्शन पर केंद्रित किया जा रहा है। जेजेएम के तहत, केवल जल आपूर्ति 'बुनियादी ढांचे के निर्माण' के बजाय 'सेवा सुपुर्दगी' पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, नल जल कनेक्शन के माध्यम से सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन की एक व्यापक बहु-स्तरीय और बहु-प्रारूप प्रणाली विकसित की है, जो लक्षित सुपुर्दगी तथा विशिष्ट परिणामों की निगरानी के लिए परिवार के मुखिया के आधार को जोड़ती है, जो वैधानिक प्रावधानों के अधीन है, जिसमें बनाई गई संपत्ति की जियो-टैगिंग, भुगतान करने से पहले तीसरे पक्ष का निरीक्षण आदि शामिल है।

*****

अनुबंध

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1889 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

जेजेएम के तहत हुई प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(08.12.2025 तक)

(संख्या लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	15/08/2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		अगस्त, 2019 से नल जल आपूर्ति प्रदान किए गए ग्रामीण परिवार		आज की तारीख में नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	% में	संख्या	% में	संख्या	% में
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.02	0.33	53.98	0.62	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	9.97	2.06	90.03	2.29	100.00
3.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.85	-	-	0.85	100.00	0.85	100.00
4.	गोवा	2.64	1.99	75.44	0.65	24.56	2.64	100.00
5.	गुजरात	91.18	65.16	71.46	26.02	28.54	91.18	100.00
6.	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	12.75	41.92	30.41	100.00
7.	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	44.64	9.46	55.36	17.09	100.00
8.	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	1.24	93.09	1.33	100.00
9.	पुदुचेरी	1.15	0.94	81.33	0.21	18.67	1.15	100.00
10.	पंजाब	34.27	16.79	48.98	17.48	51.02	34.27	100.00
11.	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	38.30	70.95	53.98	100.00
12.	उत्तराखंड	14.49	1.30	9.00	12.86	88.75	14.16	97.75
13.	लद्दाख	0.41	0.01	3.48	0.38	94.10	0.40	97.58
14.	बिहार	167.55	3.16	1.89	157.20	93.82	160.36	95.71
15.	नागालैंड	3.64	0.14	3.82	3.28	90.13	3.42	93.94
16.	सिक्किम	1.33	0.70	52.97	0.52	39.12	1.22	92.09
17.	लक्षद्वीप	0.13	-	-	0.12	91.45	0.12	91.45
18.	उत्तर प्रदेश	267.21	5.16	1.93	237.58	88.91	242.74	90.84
19.	महाराष्ट्र	146.78	48.44	33.00	83.96	57.20	132.40	90.20
20.	तमिलनाडु	125.26	21.76	17.37	90.20	72.01	111.96	89.38
21.	कर्नाटक	101.31	24.51	24.20	63.03	62.22	87.54	86.41
22.	त्रिपुरा	7.51	0.25	3.26	6.23	82.96	6.47	86.23
23.	मेघालय	6.51	0.05	0.70	5.37	82.57	5.42	83.26
24.	असम	72.24	1.11	1.54	57.87	80.11	58.99	81.65
25.	छत्तीसगढ़	49.98	3.20	6.40	37.61	75.26	40.81	81.65
26.	जम्मू एवं कश्मीर	19.26	5.75	29.89	9.89	51.34	15.64	81.22
27.	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	3.34	73.86	3.59	79.60
28.	ओडिशा	88.65	3.11	3.51	65.28	73.63	68.38	77.14
29.	आंध्र प्रदेश	95.53	30.74	32.18	40.32	42.21	71.07	74.39
30.	मध्य प्रदेश	111.49	13.53	12.14	67.45	60.50	80.98	72.63
31.	राजस्थान	107.74	11.74	10.90	50.31	46.69	62.05	57.59
32.	पश्चिम बंगाल	175.52	2.15	1.22	96.94	55.23	99.09	56.45
33.	झारखंड	62.53	3.45	5.52	31.00	49.57	34.45	55.09
34.	केरल	70.77	16.64	23.51	22.12	31.26	38.76	54.77
	कुल	**19,36.17**	**3,23.63**	**16.71**	**12,52.22**	**64.67**	**15,75.84**	**81.39**

दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई ग्रामीण आबादी नहीं है। एचएच: परिवार स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस

*****